रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 105] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 23, 1999/फाल्गुन 4, 1920

No. 105] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 23, 1999/PHALGUNA 4, 1920

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1999

सा. का. नि. 136 (अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 (1985 का 13) की धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (4), (ङ) और (च) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1988 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) संशोधन नियम, 1999 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मध्य प्रदेश प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1988, में नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

"3(1) अधिकरण की भाषा—अधिकरण के काम-काज की भाषा अंग्रेजी होगी :

परन्तु यह कि अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही के पक्षकार यदि वे ऐसी वांछा करें तो, हिन्दी में तैयार किए गए दस्तावेज फाइल कर सकते हैं;

परन्तु यह और कि (क) न्यायपीठ अपने विवेकानुसार कार्यवाहियों में हिन्दी के प्रयोग को अनुज्ञात कर सकेगी;

(ख) मामले की सुनवाई करने वाला न्यायपीठ अपने विवेकानुसार फाइल की जाने वाले अभिवचनों और दस्तावेजों को अंग्रेजी अनुवाद का निदेश दे सकता है।

(ग) न्यायपीठ अपने विवेकानुसार अंतिम आदेश अंग्रेजी या हिन्दी में कर सकती है।

(2) उपनियम (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां कोई अंतिम आदेश हिन्दी में किया जाता है वहां उसका अंग्रेजी अनुवाद भी साथ ही साथ तैयार किया जाएगा और उसे अभिलेख में रखा जाएगा।"

[ए-11014/21/98-प्र.अ.]

आर. के. टंडन, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण:—मूल नियम, तारीख 22 अप्रैल, 1988 की अधिसूचना सा.का.नि. 486(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए।

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 1999

G.S.R. 136 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clauses (4), (e) and (f) of sub-section (2) of section 35 of the Administrative Tribunals Act, 1985 (13 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1988, namely :—

1. (1) These rules may be called the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Procedure) Amendment Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Madhya Pradesh Administrative Tribunal (Procedure) Rules, 1988, for rule 3, the following rule shall be substituted, namely :—

"3(1). Language of the Tribunal.— The language of the Tribunal shall be English :

Provided that the parties to a proceeding before the Tribunal may file documents drawn up in Hindi, if they so desire;

Provided further that (a) a Bench may, in its discretion permit the use of Hindi in the proceedings.

(b) the Bench, hearing the matter may in its discretion, direct English translation of pleadings and documents to be filed.

(c) the Benches may, in their discretion, make final order either in Hindi or in English.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), where a final order is made in Hindi, an authenticated English translation thereof shall simultaneously be prepared and kept on record.

[A-11014/21/98-AT]

R. K. TANDON, Jt. Secy.

Foot Note.—The principal rules were published vide notification No. G.S.R. 486(E), dated the 22nd April, 1988.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054